प्रेस नोट

दिनांक 25.07.2026

थाना को0 देहात पुलिस व SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में वांछित चैन स्नेचर गोली लगने से घायल /गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल बरामद :

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा रामनगर-विसनागा लिंक रोड पर भोला ईट-भट्टे के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहन चेकिंग के दौरान 01. मु0अ0सं0-706/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात व 02. मु0अ0सं0-201/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज से सम्बन्धित पुलिस मुठभेड़ में 01 वांछित **चैन स्नेचर-** राजा उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी मोहल्ला मेवतियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5900/- रुपए नगद, 01 अपाचे मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24/25.07.2026 की रात्रि में थाना को0देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में रामनगर- विसनागा लिंक रोड पर भोला ईट-भट्टे के पास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का संकेत दिया गया, किन्तु वह पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर बदमाश ने स्वयं को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में 01 वांछित **चैन स्नेचर** - राजा उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी मोहल्ला मेवतियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा के पैर में गोली लगी। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा मे भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 5900/- रुपए नगद, 01 अपाचे मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। इससे पूर्व दिनांक 20.07.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा इस गिरोह के एक अन्य सदस्य अभियुक्त उवैस पुत्र हसन अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करता है। यह गिरोह आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से राह चलते लोगों के गले से सोने की चेन झपटकर (चेन स्नेचिंग) मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो जाते है। कुछ दिन पूर्व उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना कोतवाली देहात एवं थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र में मोटरसाइकिल से घूमकर चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजा उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी मोहल्ला मेवतियान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा। (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-706/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-201/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 738/26 धारा 109(1), 317(2) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 5900/- रुपए नगद।
2. 01 सुपर स्पलेंडर मोटरसाइकिल।
3. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात , जनपद गोण्डा।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस श्री मनीष कुमार मय टीम।
03. उ0नि0 पवन मिश्रा थाना कोतवाली देहात
04. उ0नि0 सावन सिंह थाना कोतवाली देहात
05. उ0नि0 आनन्द उपाध्याय थाना कोतवाली देहात
06. उ0नि0 अच्छैय चौधरी थाना कोतवाली देहात

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस- नोट
दिनांक -25.07.2026
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली देहात में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक **25.07.2026** को थाना समाधान दिवस के अवसर पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा **श्री विनीत जायसवाल** द्वारा थाना **कोतवाली देहात** में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। इस दौरान प्राप्त शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौके पर जाकर प्रत्येक प्रकरण का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान कुल 17 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से पुलिस से संबंधित 02 शिकायतों का मौके पर ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर रवाना किया गया, ताकि सभी प्रकरणों का निष्पक्ष, समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

थाना समाधान दिवस के दौरान राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस- नोट
दिनांक -25.07.2026
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर समस्त थानों में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 25.07.2026 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक द्वारा थाना इटियाथोक तथा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा थाना वजीरगंज एवं थाना नवाबगंज में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौके पर जाकर प्रत्येक प्रकरण का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल क्षेत्रों में तथा समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस के दौरान राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 25.07.2026, थाना खरगूपर

जनपद- गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा पासबुक पर फर्जी एंट्री कर ठगी करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 01. मु0अ0सं0-184/26, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस, 02. मु0अ0सं0-184/26, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्त 01. उमाशंकर तिवारी पुत्र अक्षयलाल, 02. सुनील कुमार यादव पुत्र भवानी प्रसाद को भगवानदीनपुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी रुकसाना पत्नी समशाद अली निवासी ग्राम बालपुर पिपरा भोधर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि वह अपने बैंक खाते में पैसे जमा करने और निकालने के लिए खरगूपुर स्थित SBI फ्रेंचाइजी जाती थीं। फ्रेंचाइजी स्वामी उमाशंकर तिवारी और उनके सहायक सुनील कुमार यादव कंप्यूटर खराब होने का बहाना बनाकर नकद पैसे जमा कर लेते थे। वे पासबुक और रजिस्टर में फर्जी एंट्री कर देते थे, लेकिन असल में पैसे खाते में जमा नहीं करते थे। इस तरह दोनों ने मिलकर ₹1,92,296/- की धोखाधड़ी की गई है। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0-184/26, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस बनाम उमाशंकर तिवारी व सुनील कुमार यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 25.07.2026 को विवचेना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों 01. उमाशंकर तिवारी पुत्र अक्षयलाल, 02. सुनील कुमार यादव पुत्र भवानी प्रसाद को भगवानदीनपुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

इसी प्रकार उक्त दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कंप्यूटर खराब होने का बहाना बनाकर ₹23,60,000/- की धोखाधड़ी किए जाने की 01 और शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में भी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. उमाशंकर तिवारी पुत्र अक्षयलाल निवासी ग्राम गोण्डा चाटी थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।
02. सुनील कुमार यादव पुत्र भवानी प्रसाद निवासी ग्राम पटखौली थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-184/26, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0-185/26, धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार
02. हे0का0 संतोष कुमार
03. का0 भूपेन्द्र प्रताप

मीडिया सेल, गोण्डा।